निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 596) पटना, मंगलवार, 26 मई 2015

सं0 3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013–**4725–वि0**

वित्त विभाग

संकल्प

25 मई 2015

विषयः– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–9555, दिनांक 17/10/2014 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/2/2015–ई–II (बी) दिनांक 10/04/2015 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) मंइगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक 01/01/2015 से भुगतेय है और इसका भुगतान जून, 2015 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जुलाई, 2015 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दया निधान पाण्डेय,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 596-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in